(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 11 / 2023

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ

(सायल)

बनाम

रामहेत उम्र 36वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल जाति माली निवासी बोहत थाना मांगरोल जिला बाराँ

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)

2– अनुपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 20.02.2024

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल रामहेत पुत्र धन्नालाल माली निवासी बोहत जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बाराँ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना मांगरोल जिला बाराँ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्ध पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2005 से वर्ष 2022 तक कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा भादस(03), आर्म्स एक्ट(02) एवं एक्साईज एक्ट(04) के तहत दर्ज हुए है। उक्त प्रकरणो में से कुल 03 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 03 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के [illegible] दिनांक 04.04.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के [illegible] बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को इस न्यायालय के जरिये सम्मन क्रमांक / रीडर II/2024/02 [illegible] 2024 से तलब किया जाकर इस न्यायालय में दिनांक 30.01.2024 को उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। प्रकरण में थानाधिकारी मांगरोल द्वारा गैरसायल स्वयं को प्रोपर तामील करवाई गई। इसके बावजूद भी गैरसायल इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा। प्रकरण में पुनः गैरसायल को इस न्यायालय के सम्मन क्रमांक / रीडर II / 20[illegible] / 149 दिनांक 31.01.2024 से सूचित किया गया कि प्रकरण मे आगामी नियत पेशी दिनांक 20.02.2024 को आप स्वयं आवश्यक रूप से इस न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे अन्यथा प्रकरण मे सरकार पक्ष को ही सुना जाकर अंतिम निर्णय पारित कर दिया जावेगा। इस पर भी गैरसायल द्वारा बावजूद सूचना के इस न्यायालय मे अनुपस्थित रहने पर प्रकरण मे सरकार पक्ष अभियोजन अधिकारी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:48:20 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2005 से वर्ष 2022 तक कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा भादस(03), आर्म्स एक्ट(02) एवं एक्साईज एक्ट(04) के तहत दर्ज हुए है। उक्त प्रकरणो में से कुल 03 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2005 से वर्ष 2022 तक कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा भादस(03), आर्म्स एक्ट(02) एवं एक्साईज एक्ट(04) के तहत दर्ज हुए है। उक्त प्रकरणो में से कुल 03 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि रामहेत पुत्र धन्नालाल माली निवासी बोहत जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को कुल 03 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल रामहेत पुत्र धन्नालाल माली निवासी बोहत जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, मांगरोल जिला बाराँ से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल रामहेत पुत्र धन्नालाल माली निवासी बोहत जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र मांगरोल जिला बारॉ से 01 माह के लिए जिले से निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, अयाना जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्ध यह आदेश दिनांक 07.03.2024 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना अयाना जिला कोटा को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना अयाना जिला कोटा के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:48:20 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ